राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1817/2012/श्रीगंगानगर

मैसर्स नन्दलाल नरेश कुमार
रायसिंहनगर — अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर,रायसिंहनगर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक — अपलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 23.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 241/आरवैट/रायसिंहनगर/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर रायसिंहनगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 36,551/– आरोपित की है, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 18.02.2010 को वाहन संख्या आरजे.–13–जीए–0117 का गजसिंहपुर से श्रीगंगानगर के लिए परिवहनित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में जौ भरा पाया गया,जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए धारा 76 (6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषजनक नहीं मानते धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 36,551/– आरोपित कर आदेश दिनांक 23.03.20107 पारित किया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2012 पारित किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2012 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मैसर्स बासमती इण्डिया प्रा.लि. गुडगांव को माल का विक्रय किया गया था,जिसका वैट इनवाईस नम्बर 1500 दिनांक 18.02.2010 जारी किया गया, जिसमें सी एस टी 2 प्रतिशत रू. 3161/–चार्ज किया गया था। उनका कथन है कि उक्त माल राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन,गजसिंहपुर से लोड किया गया तत्पश्चात उक्त वाहन को धर्म कांटे पर तुलवाने हेतु भेजा गया और वस्तविक वजन के आधार पर वैट इनवाईस बनाया जाना था। उनका कथन है कि इस दौरान वाहन को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रोक लिया गया । उनका कथन है कि असामान्य कारणों से अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा गया है, जो अविधिक है । उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में प्रकरण के तथ्यों का बिना विश्लेषण किये ही कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। उनका कथन है कि माल के परिवहन में उनकी कोई करापवचंन की मंशा नहीं था। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच वाहन के साथ अधिनियम के अन्तर्गत विहित कोई भी दस्तावेज नहीं पाये गये । उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए धारा 76 (6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने पर उसके प्रत्युत्तर में भी कोई दस्तावेज आदेश पारित करने तक प्रस्तुत नही किये गये, इसलिए करापवंचन की दोषी मानसिकता से माल का परिवहन किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति की पुष्टि की है, जो पूर्णतः उचित एवं विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वक्त चेकिंग वाहन में जौ भरा पाया गया,जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)(बी)

सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए धारा 76 (6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषजनक नहीं मानते धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 36,551/– आरोपित कर आदेश दिनांक 23.03.2010 पारित किया।

उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर वहनित माल के सम्बनध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है। प्रकरण के तथ्यों पर किसी निर्णय पर पहुॅचने से पूर्व अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) को उद्धरित किया जाना समीचीन है :–

76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement. – (1) The Commissioner may, with a view to prevent or check avoidance or evasion of tax, by notification in the Official Gazette, direct the setting up of a check–post or the erection of barrier or both, at such places as may be specified in the notification, and every officer or official who exercises his powers and discharges his duties at such check–post or barrier by way of inspection of documents produced and goods being moved shall be its Incharge.

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall–

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) के पठन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के समय वाहन के साथ चालान और बिल्टी का होना आवश्यक है।

जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माल परिहवहन उसकी कोई करापंवचन की मंशा नहीं थी। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा0क0अ0,18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विवचेन के अनुसार वक्त जांच वाहन के साथ कोई भी दस्तावेज नहीं पाये गये और नोटिस के जवाब के साथ भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) का स्पष्टरूप से उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू.

36,551/–आरोपित की गई है, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की अविधिकता नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य